गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन

By
Mandip kumar chaurasiya
Assistant professor(Guest)
Dept. of A.I.H. & Archaeology
Patna university, patna-800005

M.A. Semester - III

Paper/CC – 13 Religion Philosophy & Political Administration of Ancient India

- गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था पर हमें समकालीन अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती हैं| इन्हीं स्रोतों से हमें गुप्त-शासकों एवं उनके विशाल साम्राज्य की अत्यंत सुदृढ़ शासन व्यवस्था के भी बारे में जानकारी मिलती है| गुप्त राजाओं ने अपने पूर्वगामी शासकों के शासन प्रबंध को अपनाते हुवे उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर अपने समयानुकूल बनाया |

शासन व्यवस्था का स्वरूप

- **सामंत** – गुप्त शासकों के अनेक सामंतों का उल्लेख मिलता है| ये नृप, महराज आदि उपाधि भी धारण करते थे और अनेक राज्य में स्वतन्त्रतापूर्वक शासन भी करते थे| सामंत अलग सेना भी रखते थे जो समय समय पर युद्ध के समय राजा को सैनिक सहायता भी देते थे| ये सामंत राजकीय उत्सवो पर उपस्थित होकर सम्राट के वैभव को प्रदर्शित करते थे|

- गणराज्य – गुप्त साम्राज्य की अधीनता अनेक गणराज्यों ने स्वीकार की थी|

- अधीनस्थ राजा – दक्षिण भारत के अभियान के समय समुन्द्रगुप्त ने अनेक शासको को परास्त किया था किन्तु उनके राज्य को छिना नहीं था| ये शासक भी गुप्तो का अधिपत्य स्वीकार करते थे|

- सीमावर्ती एवं विदेशी शासक – अनेक सीमावर्ती एवं विदेशी शासक भी गुप्तों का अधिपत्य स्वीकार करते थे|

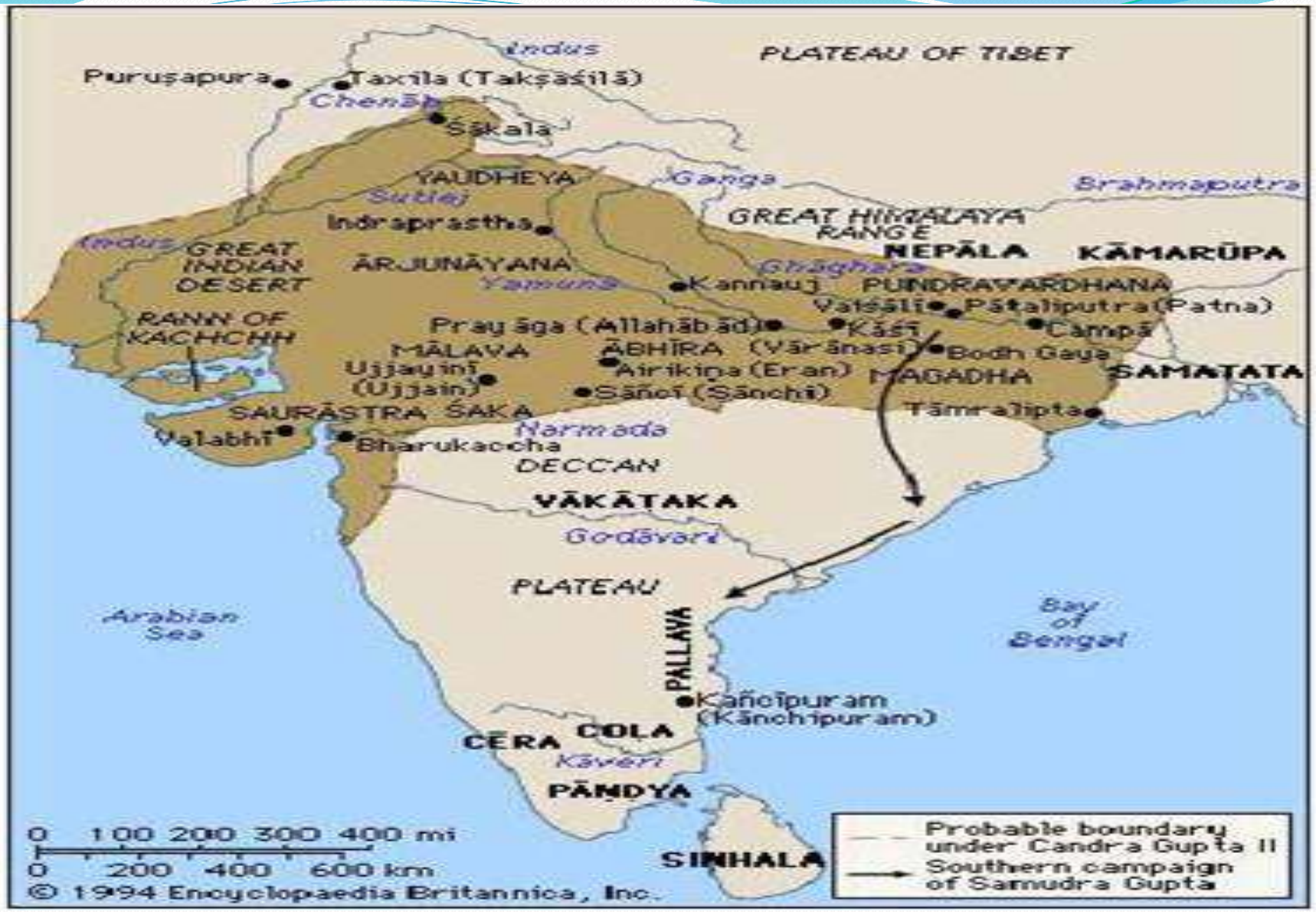

Indus
PLATEAU OF TIBET
Puruṣapura
Taxila (Takṣaśilā)
Chenāb
Śākala
YAUDHEYA
Ganga
Brahmaputra
Sutlej
GREAT HIMALAYA RANGE
Indraprastha
Indus
GREAT INDIAN DESERT
ĀRJUNĀYANA
NEPĀLA
KĀMARŪPA
Ghāghara
Yamuna
Kannauj
PUNDRAVARDHANA
Vaiśāli
Pāṭaliputra (Patna)
RANN OF KACHCHH
Prayāga (Allahābād)
Kāśī (Vārānasi)
Campā
MĀLAVA
ĀBHĪRA
Bodh Gaya
Ujjayinī (Ujjain)
Airikiṇa (Eran)
MAGADHA
SAMATATA
Sāñcī (Sānchi)
SAURĀSTRA ŚAKA
Tāmraliptā
Valabhī
Narmada
Bharukaccha
DECCAN
VĀKĀṬAKA
Godāvari
PLATEAU
Arabian Sea
Bay of Bengal
PALLAVA
Kāñcīpuram (Kānchipuram)
CERA
COLA
Kāveri
PĀNDYA
SINHALA
0 100 200 300 400 mi
0 200 400 600 km
Probable boundary under Candra Gupta II
Southern campaign of Samudra Gupta
© 1994 Encyclopaedia Britannica, Inc.

केंद्रीय शासन

- सम्राट
- मंत्री-परिषद्
- केंद्रीय कर्मचारी
- सैन्य संगठन
- पुलिस विभाग
- आय-व्यय के साधन
- न्याय एवं दण्ड व्यवस्था

सम्राट

- प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था|
- राजा को देव तुल्य तथा पृथ्वी पर इश्वर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाता था|
- राजा युद्धों में सेना का संचालन करता था तथा आमात्यो एवं मंत्रियों की सहायता से शासन करता था|
- राजा का सारा समय प्रशासनिक कार्यों के लिए विभाजित रहता था|

मंत्रि-परिषद

- राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देता था|
- परिषद् के सदस्यों को आमात्य, सचिव अथवा मंत्री कहा जाता था|
- मंत्रियों का पद वैसे प्राय: पैतृक होता था|
- गुप्तकालीन प्रमुख मंत्रियों में हरिषेंण (समुन्द्रगुप्त का), शिखरस्वामी (चन्द्रगुप्त द्वितीय के) तथा पृथ्वीसेन (कुमारगुप्त का) हैं|

केंद्रीय कर्मचारी

- गुप्तशासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था| केन्द्रीय शासन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होता था जिनके अध्यक्ष उच्च पदाधिकारी होते थे|
- गुप्त काल में कुमारामात्य नामक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था|
- अन्य केंद्रीय कर्मचारियों में प्रमुख-सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, महासेनापति, अग्रहारिक, गौल्मिक आदि थे|
- कर्मचारियों को वेतन नगद के रूप में तथा कुछ कर्मचारियों को भूमि के रूप में भी वेतन मिलता था|

सैन्य संगठन

- राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था|
- राजा के पश्चात् सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था जिसे महादन्डनायक भी कहा जाता था|
- महादन्डनायक के अतिरिक्त अनेक उपसेनापति भी होते थे|
- सेना के चार अंग- हस्ति, अश्व, रथ एवं पदाति होते थे|
- गुप्त काल में नौ-सेना भी विधमान थी|
- युद्धों के समय गुप्तो के सामंत भी सैनिक सहायता प्रदान करते थे|

पुलिस विभाग

- देश के आन्तरिक शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस-विभाग था|
- इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी 'दण्डपाशिक' होता था|
- पुलिस-विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट भाट अथवा 'रक्षिन' कहा जाता था|
- पुलिस के सहायता के लिए गुप्तचर भी होते थे|
- फाह्यान ने लिखा है कि भारत में अपराध बहुत कम होते थे, चोरी-डकैती का भय नहीं रहता था|

आय-व्यय के साधन

- राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था| भूमिकर को उपरीकर एवं उद्रंग कहा जाता था| अस्थाई कृषकों से उपरिकर एवं स्थाई कृषकों के लिए जाने वाले कर को उद्रंग कहते थे|
- उपज का जो हिस्सा राजा को दिया जाता था उसे 'भाग' कहते थे, जो कुल उपज का 1/6 भाग होता था|
- व्यापारियों से सीमा पर लिए जाने वाले कर को 'शुल्क' कहते थे|
- कारीगरों से उधोग कर लिया जाता था|

न्याय एवं दण्ड व्यवस्था

- न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था|
- राजा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था|
- राजधानी में मुख्य न्यायाधीश होता था, उसके अधीन नगरों एवं ग्रामों के न्याय अधिकारी होते थे| न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था|
- स्मृतियों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्यायालयों की चार श्रेणियां- कुल, श्रेणी, पुग एवं राजा का न्यायालय था|
- उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त पंचायतें भी न्याय का कार्य करती थी|

Thank You